

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी :- विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या -108/2019वाद
GCMS No.-2019/00372

1. खेमा पिता मेघा जाति भील निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

-वादी

// बनाम //

1. गोपाल पिता नारायण जाति भीणा निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- 1- श्री नरेन्द्र कुमार वैश्रव- अधिवक्ता वादी

:: निर्णय ::

दिनांक :-12.08.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात वाके मौजा मांगरोल पटवार हल्का मांगरोल तहसील निम्बाहेड़ा में स्थित खाता संख्या 157 की आराजी नम्बर 33 रकबा 0.2100 हैक्टेयर लगानी 5 रुपये 25 पैसा, आराजी नम्बर 34 रकबा 0.0600 हैक्टेयर लगानी 1 रुपये 50 पैसा कुल किता-2 कुल रकबा 0.2700 हैक्टेयर भूमि का निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 19.12.2023 को जारी कर बटवारा करने हेतु तहसीलदार निम्बाहेड़ा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने बटवारा फर्द विभाजन प्रस्ताव दिनांक 05.04.2024 को प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:-

1.-श्री खेमा पिता मेघा भील सा0देह खातेदार
आराजी नम्बर रकबा (हैक्टेयर)
33 0.13

किता-1 0.13

2.- गोपाल पिता नारायण भीणा सा0 सगवाडिया खातेदार
आराजी नम्बर रकबा (हैक्टेयर)
33 0.08
34 0.06
(पूर्वी भाग)

किता-2 कुल रकबा 0.14 हैक्टेयर



वकील वादी ने वादपत्र मे अंकित कथनो को दोहराया। वादी पक्षकारान ने तहसीलदार निम्बाहेडा से प्राप्त फर्द विभाजन प्रस्ताव अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु सहमति जाहिर की

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान की वहस पर गौर किया। तहसीलदार द्वारा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार बंटवारा किया जाता है:-

1.-श्री खेमा पिता मेघा भील सा०देह खातेदार
आराजी नम्बर रकबा (हैक्टेयर)
33 0.13

किता-1 0.13

2.- गोपाल पिता नारायण मीणा सा० सगवाडिया खातेदार
आराजी नम्बर रकबा (हैक्टेयर)
33 0.08
34 0.06
(पूर्वी भाग)

किता-2 कुल रकबा 0.14 हैक्टेयर

तहसीलदार निम्बाहेडा राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना -अपना वहन करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा